न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, म0

पुर्नवलोकन प्रकरण क्र0/   /016

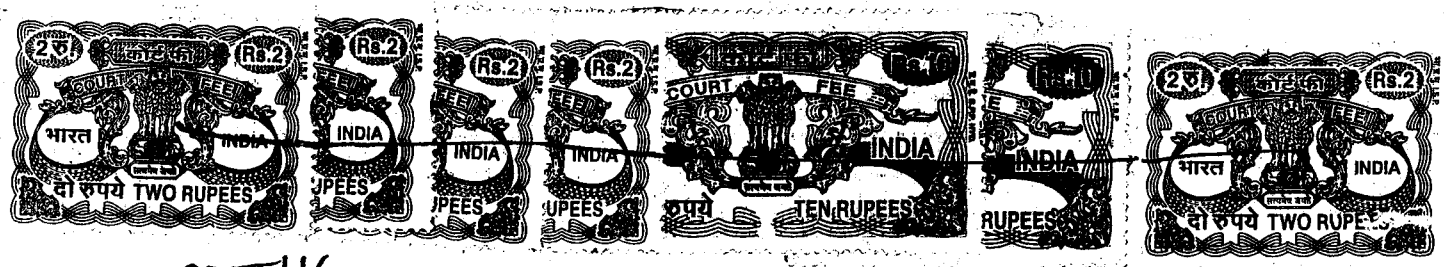

रिव्यू-5062-III/16

भैरम प्रसाद नाई तनय श्री बुद्धा नाई उम्र-65 वर्ष निवासी ग्राम पिण्डरा, तहसील मझगवां, जिला सतना, म0प्र0.

----- आवेदक

बनाम

01- इन्द्रजीत तनय सुदर्शन गौतम ~~उम्र-~~ ‡ मृत ‡

02- शिवकुमार गौतम तनय इन्द्रजीत गौतम उम्र-55 वर्ष निवासी ग्राम पिण्डरा तह0 मझगवां, जिला सतना, म0प्र0.

----- अना0गण.

श्री बिपिन त्रिपाठी एड0 के द्वारा आज दिनांक प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

पुर्नवलोकन अंतर्गत धारा 51 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

पुर्नावलोकन प्रकरण क्र0 निग.R/1338-दो/013 आदेश दिनांक 10.12.015 पारित आदेश श्री आशीष श्रीवास जी ।

मान्यवर,

आवेदनपत्र के आधार निम्नलिखित है :-

‡01‡ यह कि पारित आदेश मे प्रथम दृष्टया ही त्रुटि प्रतीत होती है जिसे पुर्नवलोकन मे लेकर सही किया जाना न्यायोचित एवं विधिक होगा ।

‡02‡ यह कि उपरोक्त प्रकरण माननीय न्यायालय मे अंतरिम आदेश हेतु नियत था । किंतु माननीय न्यायालय के द्वारा अंतिम आदेश के साथ अंतिम आदेश पारित किया गया है । जिससे मामले के सही तथ्य माननीय न्यायालय के संज्ञान मे आयेगी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 5062–दो/16 जिला –सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-3.17	आवेदक की ओर से श्री विपिन त्रिपाठी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1338–दो/2013 आदेश दिनांक 10.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 5062–दो/2016 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1338–दो/2013 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 10.12.2015 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 5062–दो/2016 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य